26 दिसंबर, 2019 को पुलिस की बर्बरता और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमलों के खिलाफ भारत के मुंबई शहर में एक विरोध प्रदर्शन जुलूस के दौरान मोमबत्तियाँ और तख्तियां थामे हुए पत्रकार। रॉयटर्स / फ्रांसिस मैस्करेन्हेस

भारत में पत्रकारों के लिए अपने अधिकारों की मार्गदर्शिका जानें (संक्षिप्त सिंहावलोकन)

भारत में पत्रकारों के लिए अपने अधिकारों को जानें मार्गदर्शिका (द गाइड) शीर्षक वाली बड़े प्रारूप की रिपोर्ट का यह एक संक्षिप्त अवलोकन है। यह पत्रकारों को भारतीय कानून के तहत उपलब्ध अधिकारों, उपायों और सुरक्षा उपायों की कामकाजी समझ से लैस करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें, आपको यहां दिए गए मार्गदर्शन पर गहन जानकारी के लिए मार्गदर्शिका का संदर्भ लेना चाहिए। यहाँ याद रखने के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे हैं:

THOMSON REUTERS FOUNDATION | TrustLaw | CPJ Committee to Protect Journalists | Shardul Amarchand Mangaldas

भारत में एक पत्रकार के रूप में आपके क्या अधिकार हैं?

- मुक्त भाषण का अधिकार भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, प्रकाशन की स्वतंत्रता, प्रसार और पूर्व-सेंसरशिप के विरुद्ध अधिकार शामिल हैं।
- इसका मतलब है कि आप सरकार या देश की आलोचना कर सकते हैं।
- हालांकि, यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है, और यदि यह सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करती है, अपराध करने के लिए उकसाती है, या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो आपके भाषण को यथोचित रूप से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

आपराधिक कार्रवाई का सामना करना और निवारण प्राप्त करना

कहां से शुरू करें

- जांचें कि क्या आपके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है।
- पहचानें कि आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के लिए किस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- पत्रकारों को फंसाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कानूनों में मानहानि, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, देशद्रोह, आपराधिक साजिश, सार्वजनिक उपद्रव आदि के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1881, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 शामिल हैं।
- जानें कि आप पर किन अपराधों का आरोप लगाया जा रहा है (अर्थात, कौन सा कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि भारतीय दंड संहिता, आदि), और आपके खिलाफ दिए गये शिकायत पत्र की एक प्रति को प्राप्त करने का अनुरोध करें।
- अपने वकील से शिकायत रद्द करवाने में आपकी मदद करने के लिए कहें।

गिरफ्तारी पर आपके अधिकार

- जांच करें कि आपको गिरफ्तार करने के लिए और छापे के माध्यम से किसी सामान या सामान की तलाशी या जब्ती के लिए क्या कोई वारंट है- इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पहुंच होना भी शामिल है। यदि आपको ऐसे किसी साक्ष्य को प्रकट करने के लिए विवश किया जा रहा है तो अपने वकील से परामर्श करें।
- गिरफ्तारी के समय, पुलिस को आपको कानूनी प्रावधानों और जमानत के आपके अधिकार के बारे में सूचित करना चाहिए। गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए एक वारंट की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर जमानती होते हैं, जबकि गैर-जमानती संज्ञेय अपराधों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है (दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची I देखें)
- अगर गिरफ्तार किया जाता है, तो आप जमानत मांग सकते हैं और अपने मित्रों और परिवार को सूचित कर सकते हैं।
- अपनी पसंद का वकील नियुक्त करना और पूछताछ के दौरान उसे उपस्थित रखना आपका मौलिक अधिकार है
- यदि आपकी वकील तक पहुंच नहीं है, तो आप राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
- आपको पूछताछ के दौरान चुप रहने का अधिकार है यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर देने से आप पर दोष लग सकता है।
- गिरफ्तारी करते समय, पुलिस अधिकारी को एक "गिरफ्तारी का ज्ञापन" तैयार करना चाहिए जिस पर आपके और आपके किसी रिश्तेदार/पड़ोसी के प्रतिहस्ताक्षर हों।
- इसके अलावा, पुलिस अधिकारी को आपके द्वारा नामित व्यक्ति को आपके ठिकाने का विवरण प्रदान करना चाहिए और उसे रिकॉर्ड करना चाहिए।
- महिलाओं को केवल पुरुष अधिकारियों द्वारा दिन के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है; अगर आपको सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है तो एक महिला पुलिस अधिकारी को उपस्थित होना चाहिए।
- आप आप अपनी गिरफ़्तारी की आशंका में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अपने जनपद के सत्र न्यायालय या अपने राज्य के माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। भले ही आपके ख़िलाफ़ कोई शिकायत दर्ज न की गई हो।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का जवाब देना और इसे कैसे रद्द करवाया जाए

प्रथम सूचना रिपोर्ट[1] (एफआईआर) को कैसे रद्द या खारिज किया जा सकता है?

- रद्द करने का अर्थ केवल प्राथमिकी को रद्द करना, काट देना या खारिज करना है।
- अपने वकील से अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर करने में मदद करने के लिए कहें।
- अदालतें उन एफआईआर को रद्द कर देती हैं जो बिना किसी वास्तविक अपराध के दायर की गई प्रतीत होती हैं, केवल अभियुक्तों को परेशान करने और बदनाम करने के लिए दर्ज़ करवायी जाती हैं।
- एक वकील के माध्यम से, आप बुरे इरादे से या गलत इरादे से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपने खिलाफ मामला खत्म करने की मांग कर सकते हैं।

[1]प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), या एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को एक संज्ञेय अपराध की पहली सूचना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 154 के तहत आती है। यह एक संज्ञेय अपराध के आचरण पर मौखिक सूचना को संदर्भित करता है जो पुलिस को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाता है। एफआईआर दोनों पक्षों (अभियोजन और बचाव) के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। यह मामले की प्रारंभिक नींव के रूप में कार्य करता है।

यदि आपको हिरासत में लिया जाता है तो क्या करें

- अगर आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है, तो आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।

क्या होगा यदि आपको 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाए?

- आपके वकील पुलिस को जवाबदेह ठहरा सकते हैं यदि वे आपको गिरफ्तार करते हैं और 24 घंटे की निर्धारित अवधि के भीतर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होते हैं, या यदि आपको सप्ताहांत के दौरान गिरफ्तार किया जाता है या यदि पुलिस के रिकॉर्ड में किसी भी तरह से बदलाव किया गया है जिस तरह से एक गलत हिरासत की ओर इशारा करता है।
- अगर आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो आपके वकील बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए याचिका दायर कर सकता है। इसका मतलब अदालत से पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका है।
- ऐसी याचिका सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है।
- अदालतें इस तरह का आदेश दे सकती हैं यदि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखा गया है, या बिना कोई अपराध किए गिरफ्तार किया गया है, या गलत इरादे से गिरफ्तार किया गया है।

अदालतें गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठा सकती हैं, और अगर उसे लगता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, तो वह उसकी रिहाई का आदेश दे सकती हैं।

जागरूक होने के लिए अन्य युक्तियाँ एवं अधिकार

- यदि आपने पुलिस हिरासत में हिंसा का सामना किया है तो आप न्यायालय से चिकित्सीय परीक्षण की मांग कर सकते हैं।
- जमानती अपराधों के लिए, आपका वकील अदालत का दरवाजा खटखटाए बिना, आपकी ओर से सीधे पुलिस के पास जमानत अर्ज़ी दायर कर सकता है।
- किसी पुलिस अधिकारी से पूछे जाने पर अपना नाम और पता साझा करने से इंकार न करें क्योंकि यह गिरफ्तारी का आधार हो सकता है। हालाँकि, आपको इस आधार पर 24 घंटे से अधिक समय तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
- पुलिस से संबंधित किसी भी घटना की रिपोर्ट करते समय या पुलिस के साथ बातचीत करते समय, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक पुलिस अधिकारी को उनके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा बिना वारंट के गिरफ्तारी का आधार है। पुलिस के साथ किसी असहयोग को शामिल करने के लिए इसकी व्यापक रूप से व्याख्या की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी आपको पूछताछ के लिए उपस्थिति का नोटिस देता है, तो यह सलाह दी जाती है कि आप उसका पालन करें (अपने वकील के साथ)। यदि आप पुलिस के साथ सहयोग करते हैं तो मजिस्ट्रेट ज़मानत देने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं।

अगर आप पर मुकदमा हो रहा है तो क्या करें

एक वाद के लिए आधार की पहचान करें

- एक सिविल (दीवानी) वाद, सिविल मानहानि के लिए सबसे अधिक संभावना।
- आपराधिक मानहानि का एक आपराधिक मामला - जिसमें प्राथमिकी और गिरफ्तारी शामिल है।
- एक वकील की सहायता प्राप्त करें और उपलब्ध बचावों पर विचार करें (जैसे कि मानहानि के दावों के खिलाफ)। यदि आप एक वकील का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो आप मुफ्त कानूनी सहायता लेने पर विचार कर सकते हैं (कृपया इस बारे में अधिक जानकारी के लिए गाइड के अध्याय (III) का संदर्भ लें)।
- ऐसे मुकदमों से निपटने के लिए मार्गदर्शिका का अध्याय (IV) देखें।

सिविल वाद के प्रकार

- दीवानी वादों में दीवानी मानहानि, मानहानि और/या आपके काम के प्रकाशन को रोकने वाले निषेधाज्ञा के मामले शामिल हो सकते हैं।
- अक्सर वादी चाहते हैं कि आप नुकसान की भरपाई करें, प्रकाशित कार्य वापस लें, सार्वजनिक माफी जारी करें, सुधारात्मक बयान जारी करें या आपराधिक मानहानि के लिए दंडित हों।
- यदि आपका दावा सत्य है और जनहित में किया गया है, तो आप कानून द्वारा संरक्षित हैं।
- आपको अपने वकील से जवाब देने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है।

ऑनलाइन दुर्व्यवहार से कैसे निपटें

- आप जिस ऑनलाइन दुर्व्यवहार का शिकार हो सकते हैं, उनमें धमकी मिलना , डराना-धमकाना, साइबरस्टॉकिंग, डॉक्सिंग, प्रतिरूपण, ट्रोलिंग, साइबर चोरी, रिवेंज पोर्न, मानहानि और स्पैमिंग शामिल हैं।
- आपकी शिकायत दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है और यदि वे ऐसा करने से मना करते हैं, तो आप पुलिस अधीक्षक या संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को डाक द्वारा एक लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।

पत्रकारों का ऑनलाइन दुरुपयोग एक राष्ट्रीय और वैश्विक चिंता का विषय है। प्रासंगिक जानकारी के साथ पत्रकारों को सशक्त बनाने के लिए निर्मित की गयी विभिन्न मार्गदर्शिकाओं में आपको राहत मिल सकती है:

- ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाव के लिए संसाधनों पर सीपीजे की जानकारी।
- अंतरराष्ट्रीय समाचार सुरक्षा संस्थान, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और यूनेस्को के पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन हमले: अपने अधिकारों को जानें मार्गदर्शिका।
- आईएफजे की बाइट बैक: दक्षिण एशिया में साइबर उत्पीड़न से निपटने के लिए पत्रकारों की मार्गदर्शिका।
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' पत्रकारों का ऑनलाइन उत्पीड़न: ट्रोल्स का हमला।
- अपने ट्रोल्स या ऑनलाइन विरोधियों के साथ बातचीत करना हमेशा उचित नहीं होता है; लेकिन यदि आप ऐसा करना चुनते हैं, तो आप काउंटर-स्पीच के सुरक्षित अभ्यास के लिए पेन अमेरिका के दिशानिर्देशों पर भरोसा कर सकते हैं।
- टीआरफिल्टर का उपयोग करें, जो एक उपकरण है जिसका उपयोग संगठन अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून

कानून के प्रावधानों की एक सूची निम्नलिखित है, जिस पर आप ऑनलाइन दुर्व्यवहार की घटनाओं के मामले में प्राथमिकी दर्ज करते समय भरोसा कर सकते हैं:

भारतीय दंड संहिता	
पीछा करना (धारा 354D)	किसी भी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी भी रूप के उपयोग के आधार पर किसी महिला की निगरानी करने वाले को पीछा करने का अपराध माना जाएगा
आपराधिक धमकी (धारा 503)	आपराधिक धमकी में किसी व्यक्ति, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी शामिल है। यहां चोट का खतरा केवल आप तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके हित में किसी के लिए भी हो सकता है।
गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी (धारा 507)	गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपना नाम या निवास की जानकारी छुपाता है, एक दंडनीय अपराध है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम	
अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए सजा (धारा 67)	अश्लील सामग्री वाली कोई भी अन्तर्निहित वस्तु जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित हुई है (पढ़ने, देखने या सुनने के लिए) एक अपराध है।
इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कार्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा (धारा 67ए)	इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से किसी भी यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण भी दंडनीय है।

COVID-19 (कोविड-19) महामारी के बारे में कैसे पत्रकारिता करें

- महामारी पर रिपोर्ट करते समय प्रामाणिक और सत्यापित स्रोतों पर भरोसा करें।
- राज्य-विशिष्ट कानूनों का ध्यान रखें जिनका आपको पालन करना पड़ सकता है और महामारी पर रिपोर्ट करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी पड़ सकती है।
- COVID-19 पर पत्रकारिता के लिए स्थापित किए गए अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों से अवगत रहें।
- महामारी पर अपनी रिपोर्ट में सत्यापित स्रोतों को शामिल करें।
- नकली समाचार फैलाने से सावधान रहें क्योंकि इससे उकसाने वाली कार्रवाई के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है, जैसे मानहानि, बदनामी, मानहानि, दंगा भड़काना और/या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा।

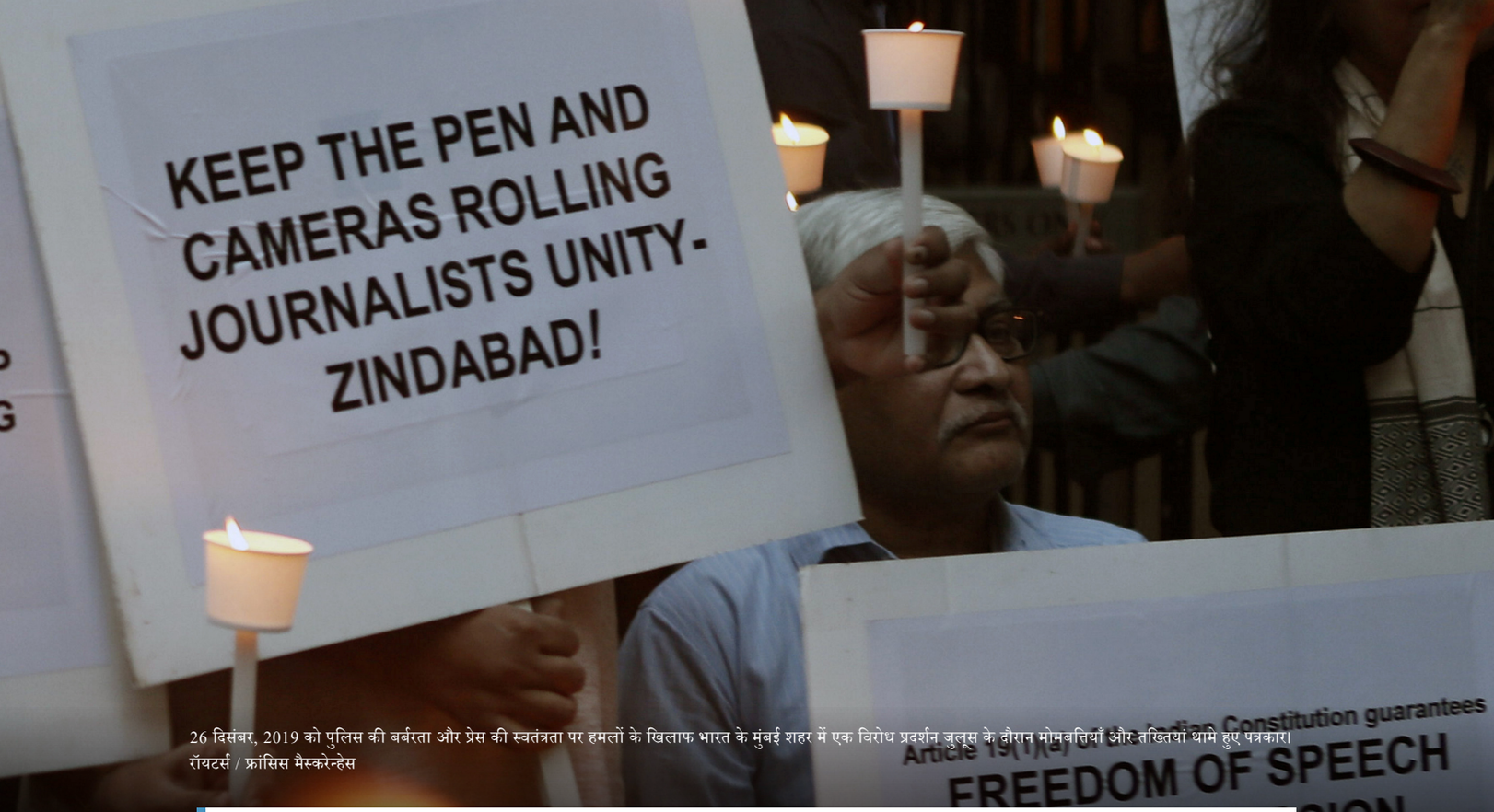

26 दिसंबर, 2019 को पुलिस की बर्बरता और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमलों के खिलाफ भारत के मुंबई शहर में एक विरोध प्रदर्शन जुलूस के दौरान मोमबत्तियाँ और तख्तियां थामे हुए पत्रकार। रॉयटर्स / फ्रांसिस मैस्करेन्हेस

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स और थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन शार्दुल अमरचंद एंड कंपनी की कानूनी टीम द्वारा मिले सहयोग को स्वीकार करना और उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को संभव बनाने के लिए नि: स्वार्थ आधार पर अपने समय और विशेषज्ञता का योगदान दिया।

अस्वीकरण

यह रिपोर्ट केवल सूचना उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है। यह कानूनी सलाह नहीं है। पाठकों से आग्रह है कि वे अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के संबंध में योग्य कानूनी परामर्शदाता से सलाह लें।

हम प्रकाशन के समय रिपोर्ट की सामग्री को सही और अद्यतित होने का इरादा रखते हैं, लेकिन हम उनकी सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देते हैं, विशेष रूप से प्रकाशन के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे), शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी और थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन, की गई या नहीं की गई कार्रवाई या इस रिपोर्ट पर निर्भरता या इसमें किसी भी अशुद्धियों से उत्पन्न किसी भी नुकसान के लिए कोई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं।

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी ने उदारतापूर्वक सीपीजे को निशुल्क अनुसंधान प्रदान किया है। हालांकि, इस रिपोर्ट की सामग्री को शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी या योगदान देने वाले वकीलों के विचारों या विचारों को प्रतिबिंबित करने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए।

इसी तरह, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन इस रिपोर्ट पर अपने काम के साथ हमारे ट्रस्ट लॉ सदस्य, सीपीजे का समर्थन करने पर गर्व महसूस कर रहा है, जिसमें प्रकाशन और कानूनी शोध को संभव बनाने वाले निशुल्क कनेक्शन शामिल हैं। हालांकि, स्वतंत्रता और पूर्वाग्रह से मुक्ति के थॉमसन रॉयटर्स ट्रस्ट सिद्धांतों के अनुसार, हम इस रिपोर्ट की सामग्री, या इसमें व्यक्त किए गए विचारों पर कोई मंतव्य नहीं रखते हैं।

To access the Know Your Rights Guide for Journalists in India, please visit the Resources section on https://www.trust.org/trustlaw/ and https://cpj.org/